

प्रेषक,

राजेश पाराशर,  
महाप्रबन्धक (विधि),  
उ०प्र०राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा: मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय,  
उ०प्र०राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
ए-1/4, लखनपुर, कानपुर नगर।

संदर्भ क्रमांक - 395 / UPSIDA - Legal

दि० - 30-7-2024

विषय:- पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) में सम्मिलित होने के संबंध में।

महोदय,


माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9792 / VIIb -104 / Admin D Section Dated 19.07.2024 के संबंध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) में सम्मिलित होने के संबंध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमान्जी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक:

भवदीय,

  
30/7/24

(राजेश पाराशर)  
महाप्रबन्धक (विधि),

उ०प्र०राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

J.O.No. UP 06227

संलग्नक:-


शासनादेश सं० 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024  
दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20 / 2024 / सा-3-276 /  
दस-2024 / 301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

शासनादेश संख्या-20 / 2004 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) / 2024 दिनांक-11 जुलाई, 2024 का

सलग्नक:-  
विकल्प पत्र


1. नाम राजेश पाराशर
2. वर्तमान पदनाम महाप्रबन्धक (विधि), कानपुर
3. वेतनमान 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), ए-1/4, लखनपुर, कानपुर
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
6. विज्ञप्ति की तिथि 15, नवम्बर, 2003  
(विज्ञापन सं. A-2/E-1/2003)  
(प्रकाशित 22-28, नवम्बर, 2003  
रोजगार समाचार)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26.05.2006  
उ0प्र0शासन नियुक्ति अनुभाग-4  
(सं. 2430/दो-4-06-32(1)/2001  
टीसी-1)
8. योगदान की तिथि 15.06.2006
9. जन्मतिथि 04.10.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2037

मैं राजेश पाराशर पुत्र-श्री नरेश चन्द्र पाराशर शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ/मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

  
30/7/24  
(राजेश पाराशर)  
महाप्रबन्धक (विधि)  
J.O code UP06227

### घोषणा पत्र


मैं राजेश पाराशर, पदनाम- महाप्रबन्धक(विधि), उ0प्र0राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), कानपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

  
30/7/24  
(राजेश पाराशर)  
महाप्रबन्धक (विधि)

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राजेश पाराशर पदनाम- महाप्रबन्धक (विधि), उ0प्र0राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), कानपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

  
Mayur Maheshwari  
IAS  
Chief Executive Officer  
U.P.S.I.D.A., Kanpur

Reg. No. 529  
18-7-2024 File No. 117-82  
Serial No. 24  
15-7-24

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

पोषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

A R Acc (C-1)

15/07/24

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय जाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कर्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-
- (1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।
  - (2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूलस, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूलस, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।
  - (3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वसुण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।
  - (4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।
  - (5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।
  - (6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।
- 6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तद्वैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

नील रतन कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लेखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28  
जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कर्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कर्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

S.O. Adk/A-1

2/-

11-07-2024 JR Adm. Misc

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



शासनादेश संख्या- 20/2024/शा-3-276/तरा-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का  
संलग्नक-

- विवरण पत्र
1. नाम
  2. वर्तमान पदनाम
  3. वेतनमान
  4. वर्तमान विभाग का नाम
  5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
  6. विज्ञप्ति की तिथि
  7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि
  8. योगदान की तिथि
  9. जन्म तिथि
  10. सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
शासनादेश संख्या-14/2024/शा-3-243/तरा-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विवरण देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विवरण अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.....

घोषणा पत्र

मैं.....पदनाम.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.....

सम्बन्धित कार्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती.....पदनाम.....को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( )/नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित करने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालय/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, जहाँ इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणावली के साथ <http://shasanadesh.mca.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।